



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082022-237802
CG-DL-E-01082022-237802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3416]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944

No. 3416]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

का.आ. 3581(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट NH167 के किमी 181.2 से 283 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH167 तक की भूमिका अर्जन। डेवलपमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक कॉरिडोर इंटर कॉरिडोर फीडर रूट्स एंड कोस्टल रोड्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ़ फ्रेट मूवमेंट्स इन इंडिया (लोट 1 /तेलंगाना / पैकेज १) देओसुगुर (तेलंगाना / कर्नाटक बॉर्डर) (कम 181.200) टू जड्चर्ला (कम 283.000) ऑफ़ सेक्शन NH-167, हैदराबाद - पणजी कॉरिडोर के एक भाग के रूप में, तेलंगाना राज्य में, भारतमाला परियोजन के तहत

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग	तेलंगाना	महबूबनगर	भूतपुर	1 पोथुलमाडुगु

		संख्या NH167 के कि.मी. 181.2 से 283 तक				2 अन्नासागर
						3 रावलपल्ले
				मूसापेट	1 पोलकम्पल्ली	
				महबूबनगर (ग्रामीण)	1 इप्पलपल्ले	

[फा. सं. NHAI/PIU-HYD/DEO-JAD/NH-167/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2022

S.O. 3581(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 181.2 to Km. 283 of the NH167 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of TELANGANA

SCHEDULE

Development of economic corridors, inter corridors, feeder routes and coastal roads to improve efficiency of freight movements in India (lot 1 /Telangana /package 1) - Deosugur (Telangana / Karnataka Border) (Km. 181.200) to Jadcherla (Km. 283.000) of section of NH167 as a part of Hyderabad - Panaji Corridor in the state of Telangana under Bharatmala Pariyojana

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Collector	181.2KM To 283KM	TELANGANA	MAHABUBNAGAR	Bhootpur	1 Pothulamadugu 2 Annasagar 3 Ravalapalle
					Moosapet	1 Polakampalli
					Mahabubnagar (Rural)	1 Ippalpalle

[F. No. NHAI/PIU-HYD/DEO-JAD/NH-167/2022]

RAJESH GUPTA, Director